E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर और भारत में महिला सशक्तीकरण

पूर्णिमा यादव

पी.एच.डी. शोधार्थी, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.)

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.12209146

सार :

एक दृढ़ संकल्पी व गंभीर–गहन विद्वान डॉ. अम्बेडकर ने समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के पथ पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए है। बाबा साहेब सामाजिक दृष्टि से महिलाओं की उन्नति के पक्षकार थे। वह भारत में महिलाओं की उन्नति में आने वाली बाधाओं को तोड़ने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने हिन्दुओं और भारतीय समाज के अन्य वर्गों के लिए समान नागरिक संहिता को संहिताबद्ध करके एक ठोस व गंभीर प्रयास की नींव रखीं। प्रस्तुत शोध पत्र स्वतंत्रता पूर्व व पश्चात् महिलाओं की समस्याओं पर डॉ. अम्बेडकर के दृष्टिकोण और वर्तमान परिदृश्य में उनके विचारों की प्रासंगिकता को उजागर करने का एक प्रयास है।

डॉ. अम्बेडकर ने अपना सम्पूर्ण जीवन महिलाओं की भलाई में लगा दिया। अम्बेडकर जी ने गरीब, अनपढ़ महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा की और उन्हें बाल विवाह और देवदासी जैसी अन्यायपूर्ण और सामाजिक प्रथाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया।[1]

शब्द कुंजी : महिला, महिला सशक्तिकरण, हिन्दुकोड बिल, महिला अधिकार, समानता, शिक्षा, संगठन।

1. प्रस्तावना :

महिला सशक्तीकरण एक बहुमुखी, बहुआयमी और बहुस्तरीय अवधारणा है। जिसमें महिलाओं को संसाधन सामग्री, बौद्धिक संसाधन जैसे ज्ञान, सूचना, विचार और वित्तीय संसाधन जैसे धन और धन तक पहुँच और घर, समुदाय, समाज और राष्ट्र में निर्णय लेने, नियंत्रण करने और सत्ता हासिल करने का अधिक हिस्सा व अवसर मिलता है।[2]

प्राचीन भारत में महिलाओं को समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त था। लेकिन धीरे–धीरे उनकी स्थिति कमतर होने लगी और वह कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल आनंद की वस्तुओं के रूप में बदल गई। उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहचान और यहाँ तक की अपने मूल मानव अधिकार को भी खो दिया। उसका समाज में स्थान अन्य मनुष्यों के समान नहीं था। उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है वह अपनी मर्जी से न कहीं जा सकती है न कुछ कर सकती है। हिन्दू शास्त्रों में, उसे जानवरों या आनंद की कुछ वस्तु की तरह निरूपित किया गया है। तुलसी दास द्वारा लिखित "ढोल, गवांर, शूद्र, पशु, नारी– ये सब तडन के

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

अधिकारी", रामायण के इन छंदो में 'मनुस्मति' के समान महिलाओं को दिया गया दर्जा काफी निम्न दिखाई देता है क्योंकि उसके साथ हिन्दू धर्म मालिकों द्वारा जानवरों और दासों के समान व्यवहार किया गया था। इसलिए भारतीय संविधान के जनक और निर्माताा डॉ. अम्बेडकर का दृढ़ मत था कि जब तक हम हिन्दू धर्म शास्त्रों की अवहेलना नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं बदला जा सकता है। संस्कारों के नाम पर हिन्दू महिलाए अंधविश्वास के बंधन में बंधी रहती है, जिसे वे मरते दम तक ढ़ोती है। वे निराधार परम्पराओं और शास्त्रों के उपदेश के माध्यम से सीखी गई कुछ गलत धारणाओं को अपनी संतानों के दिमाग में बिठाने के लिए भी जिम्मेदार है।[3]

डॉ. अम्बेडकर ने 1920 में अपना आंदोलन शुरू किया। उन्होंने हिन्दु सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ तार्किकता के साथ उग्र विचार प्रचारित करना शुरू किया तथा इस उद्देश्य हेतु 1920 में "मूक नायक" और 1927 में "बहिष्कृत भारत" पत्रिका का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से उन्होंने लैंगिक समानता और शिक्षा की आवश्यकता पर प्रबलता से जोर दिया और दलित वर्गों के साथ महिलाओं की समस्याओं को भी उजागर किया। महिलाओं को साहसपूर्वक आवाज उठाने के लिए सशक्त बनाने के लिए डॉ. अम्बेडकर का प्रोत्साहन तब देखा गया। जब 1931 में राधाबाई वडाले ने एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया।[4]

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर 20वीं सदी में भारत के सबसे उत्कृष्ट बुद्धिजीवियों में से एक थे। प्रख्यात मार्क्सवादी अर्थशास्त्री पॉल बरन ने अपने एक निबंध में एक 'बुद्धिजीवी कार्यकर्त्ता' और एक 'बुद्धिजीवी' के बीच अंतर किया था। उनके अनुसार पहला वह है, जो अपनी बुद्धि का उपयोग जीविकोपार्जन के लिए करता है जबकि दूसरा वह है, जो इसका उपयोग आलोचनात्मक विश्लेषण और सामाजिक परिवर्तन के लिए करता है। डॉ. अम्बेडकर पॉल बरन की 'बुद्धिजीवी' की परिभाषा पर बहुत अच्छी तरह फिट बैठते है।[5]

अम्बेडकर न केवल भारतीय संविधान के जनक थे अपितु वह एक महान संघर्षकर्त्ता, राजनीतिक नेता, दार्शनिक, विचारक,अर्थशास्त्री, संपादक, समाजसुधारक, बौद्ध धर्म के पुनरूत्थमवादी थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों से अधिक सर्वांगीण विकास का अवसर दिया जाना चाहिए।[6] डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा महिलाओं के नेतृत्व वाले आंदोलनों में विश्वास करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं को विश्वास में लिया जाए तो वे सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में बहुत बड़ी और सक्रिय भूमिका निभाई हैं उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक विवाहित महिला को अपने पति की गतिविधियों में एक दोस्त के रूप में भाग लेना चाहिए। लेकिन उसे गुलामों के जीवन को नकारने का साहस दिखाना होगा। उसे समानता के सिद्धांत पर जोर–देना चाहिए। यदि सभी महिलाएँ इसका पालन करें तो उन्हें वास्तविक सम्मान और अपनी पहचान मिलेगी।[7]

डॉ. अम्बेडकर नारी स्वावलम्बन के हिमायती थे। बाबा साहेब ने भारतीय महिलाओं की दयनीय स्थिति का गहन अवलोकन किया और पाया कि भारतीय महिलाओं की स्थिति भारतीय इतिहास में प्रारंभ से ऐसी नहीं थी। महिलाओं की प्रस्थिति में अवनति का कारण 'मनुस्मृति' है।

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

स्मृतिकाल विषेश रूप से मनु के पूर्व तक भारतीय समाज में नारी की स्थिति अच्छी थी। स्त्रियों को वेद की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें गुरूकुलों में प्रवेश मिलता था। प्राचीन काल में देश के बौद्धिक एवं सामाजिक जीवन में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। अथर्ववेद के एक उदाहरण से स्पष्ट होता है कि स्त्रियाँ भी पुरूषों के समान उपनयन की अधिकारी थी। सामान्यतः ब्रह्मचर्य की समाप्ति के पश्चात ही उनका विवाह होता था। बुद्ध ने नारी एवं पुरूष में कोई भेद नहीं किया। वे बुद्धि और चरित्र में नारी को पुरूष से कम नहीं समझते है। कौटिल्य ने भी महिला के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारा है और उसे गरिमापूर्ण जीवन के लिए तलाक, पुनर्विवाह तथा सम्पत्ति पर अधिकार का अधिकारी माना हैं परंतु मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों में अशुद्ध इच्छाओं, कुविचार, तथा कुआचरण का वास होता है। अतः मनु ने स्त्री की स्वतंत्रता, समानता तथा सम्पत्ति संबंधी सभी अधिकार छीन लिए और स्त्री को पुरूष की दासी के रूप निरूपित किया।[8]

महिला सशक्तीकरण लैंगिक समानता, नेतृत्व क्षमता, अवसरों की समानता तथा वित्तीय स्वतंत्रता जैसे विशेषताओं से युक्त है। डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं को विशेषाधिकार प्राप्त समुदाय के तहत लाने के लिए स्वयं महिलाओं को संघर्ष में शामिल करना शुरू किया। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित करते हुए उन्हें जातिगत पूर्वाग्रहों के खिलाफ संघर्ष में भाग लेने के लिए संबोधित किया, महाड़ सत्याग्रह के दौरान महिलाओं ने पुरूषों के साथ जुलूस में मार्च निकाला। उन्होंने महिलाओं को खुद को संगठित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 20 जुलाई 1942 को नागपुर में आयोजित महिला सम्मेलन में महिलाओं के भारी जामावड़े से प्रभावित होकर उन्होंने महिलाओं को प्रगतिशील होने और परंपरावाद, कर्मकांड और प्रथागत आदतों को खत्म करने के लिए कहा जो उनकी प्रगति के लिए हानिकारक थें।

सशक्तिकरण के माध्यम से व्यक्तियों तथा समुदायों की क्षमताओं को विकसीत कर उन्हे समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। डॉ. अम्बेडकर नारी स्वालम्बन के प्रेरक थे वह स्त्री के क्रय–विक्रय आदि प्रथाओं के विरोधी थे। उन्होंने इस बात का भी विरोध किया कि स्त्री गुणहीन पति की पूजा करती रहे, और गुणहीन पिता उसको पालने के बदले में उसको प्रताड़ना देते रहे। ऐसे सामाजिक परिवेश को समाप्त करने के लिए आर्थिक दृष्टि से नारी स्वावलंबन आवश्यक है। अम्बेडकर का यह मानना था कि नारी स्वावलम्बन के विरूद्ध बड़ी बाधा आर्थिक पराधीनता है। स्त्रियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ब्राह्मणवादी मानसिकता से संघर्ष करना है, जिन्होंने पुरूष प्रधान समाज में स्त्रियों को सामान्य नागरिक की हैसियत से जीवन कार्य करने की स्वीकृति नहीं दी। अतः डॉ. अम्बेडकर ने स्त्रियों को जीने के लिए तैयार किया है। अम्बेडकर का मत था कि "मैं किसी समाज की प्रगति इस आधार पर मापता हूँ कि उस समाज में नारी ने किस सीमा तक प्रगति की है।" इस तरह अम्बेडकर ने राष्ट्र की प्रगति का स्तर स्त्रियों के स्थान को उत्कृष्ट मानते हुए विकास मानदण्डों के रूप में स्वीकार किया है।[9] स्त्रियों के आर्थिक उत्थान के लिए और उनके राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भागीदारी के लिए यह अनिवार्य माना है कि नारी शक्ति संगठित हो क्योंकि संगठित नारी शक्ति ही गरीबी के अभिषाप को समाप्त कर सकती है। दलित वर्गों में गरीबी का मूल कारण जल्दी विवाह, अधिक बच्चे और लड़कियों का दासी जैसे व्यवहार से पालन–पोषण आदि है। वह समाज आर्थिक दृष्टि से उन्नति नहीं कर सकता जो अपनी पत्नी और पुत्री को हानि समझते हैं। यही कारण है कि अम्बेडकर ने आर्थिक उत्थान में

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

महिलाओं के नेतृत्व का समर्थन किया। शांतिबाई दाडी, गीताबाई गायकवाड़ तथा श्रीमती मनोबल शिवराज आदि महिलाओं को आंदोलन में सम्मिलित करने का श्रेय अम्बेडकर को है। महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए जरूरी है कि उन्हें स्वच्छन्द जीवन दिया जाए, उन्हें दुराचारों से मुक्त रखा जाये और शिक्षा की अनिवार्यता रखी जाए।[10]

महिलाओं की आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी बढ़े इसके लिए अम्बेडकर ने सलाह दी कि बाल विवाह पर रोक लगाई जानी चाहिए और महिलाओं को आर्थिक जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। अम्बेडकर गरीबी के लिए अधिक संतान करने को जिम्मेदार मानते थे। परिवार को सीमित रखने के संबंध में उनका मत निश्चित था कि अधिक संतान उत्पन्न करना एक अपराध है।[11] उन्होंनें बाम्बे विधान सभा में महिलाओं के परिवार नियोजन उपायों की पुरजोर वकालत की। 1942 में गवर्नर जनरल की कार्यकारणी परिषद के श्रम मंत्री होने के नाते, उन्होंने मातृत्व लाभ विधेयक पेश किया। उन्होंने महिलाओं के कल्याण और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए है।[12]

बाबा साहेब अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा ही एक मात्र साधन है जिसके द्वारा समाज उत्पीड़न से लोकतंत्रिक भागीदारी की ओर बढ़ता है। यह व्यक्ति के सशक्तिकरण के लिए शक्तिशाली उपकरण है। पिढियों से भारतीय समाज में हाशिए पर रहे निम्न वर्गों और महिलाओं को शिक्षा के अवसर से वंचित रखा गया है। डॉ. अम्बेडकर ने भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के शैक्षिक अवसरों की गारंटी देने के लिए पुरजोर प्रयास किए।

भारत के पहले कानून मंत्री और संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष होने के नाते डॉ. अम्बेडकर ने महिलाओं को सदियों पुरानी दासता से मुक्त करने के लिए मनु द्वारा बनाए गए हिंदू सामाजिक कानूनों में सुधार करना न केवल उचित बल्कि अपना कर्तव्य भी समझा। इसलिए उन्होंने हिन्दू कोड बिल तैयार करने तथा उसे संविधान सभा में पेश करने की पहल की।[13] डॉ. अम्बेडकर स्त्रियों के लिए सम्पत्ति के अधिकार के समर्थक थे। उनका मत था कि सम्पत्ति का अधिकार दिये बिना स्वतंत्रता और समानता का अधिकार अर्थहीन है। इसके लिए अम्बेडकर विवाह और सम्पत्ति संबंधित कानूनों में परिवर्तन लाना चाहते थे। इसको क्रियाशील करने के लिए उन्होंने हिन्दू कोड बिल प्रस्तुत किया तथा पुत्री, पत्नी और माँ को पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार की सिफारिश की। उन्होंने स्त्रियों को गोद लिये जाने और संतान गोद लेने का अधिकार दिया। एक विधि मंत्री के रूप मे वह हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज की रक्षा करना चाहते थे।[14]

17 सितम्बर 1951 को संसद में हिन्दू कोड़ बिल पर चर्चा करते समय डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि वर्ग–वर्ग, अलग–अलग सम्प्रदाय और जातियों के बीच असमानता को अनदेखा करके आर्थिक समस्याओं के संबंध में कानून बनाना हमारे संविधान का उपहास है। इस तरह अम्बेडकर ने संसद और संसद के बाहर सम्पत्ति के अधिकार को सशक्त रूप में आगे बढ़ाया। संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर ने कहा, मैं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ फ्रांसीसी क्रांति के खिलाफ अपनी महान पुस्तक लिखने वाले राजनीतिक दार्शनिक बर्क ने कहा कि– "जो लोग संरक्षण करना चाहते है उन्हें बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए" और मैं इस सदन से केवल यह पूछ रहा हूँ यदि आज हिन्दू व्यवस्था हिन्दू संस्कृति और हिन्दू समाज को बनाए रखना चाहते है तो जहाँ बदलाव की आवश्यकता है वहाँ बदलाव करने में संकोच न करें। यह विधेयक

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

हिन्दू व्यवस्था में केवल उन हिस्सों की बदलाव करने के अलावा कुछ नहीं माँगता जो विकृत हो चुकी हैं। अतः आप इसका समर्थन करें। हिन्दू कोड बिल के प्रति कांग्रेसियों के उदासीन रवैये के प्रति स्वयं अम्बेडकर ने विरोध प्रस्तुत किया। यद्यपि हिन्दू कोड बिल आगे चलकर अलग–अलग कानूनों के रुप में पास करा दिया गया। किन्तु डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू कोड बिल को यथावत् पास न किये जाने के कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।[15]

अम्बेडकर संपत्ति के अधिकार को महिलाओं के लिए व्यापक बनाना चाहते थे ताकि तलाक, वैधव्य आदि स्थितियों में महिलाओं को न तो शोषण का शिकार होना पड़े और न आर्थिक दृष्टि से परावलम्बी होना पड़े। डॉ. अम्बेडकर ने आर्थिक अधिकार दिलाने के लिए मजदूरी संबंधी कानूनों पर प्रकाश डाला। वे समान मजदूरी और लाभों के पक्षधर थे। भारतीय हिन्दू समाज में कौटिल्य के सदर्भ से उन्होंने यह स्पष्ट करना चाहा कि पुरूषों की भांति स्त्रियों को भी तलाक का अधिकार होता है, और तलाकशुदा स्त्री अपने पति से भरण–पोषण का अधिकार रखती हैं। भरण–पोषण के लिए उसे अपने पति की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त है। वे भारतीय समाज में महिलाओं को व्यापक अधिकार दिलाना चाहते थे, जिससे स्त्री समाज में आत्म विश्वास और आर्थिक स्वावलम्बन प्राप्त कर सकें। जब तक महिलाओं के भरण–पोषण और रोजगार की पूरी सुरक्षा नहीं होती समाज में तलाक, व्याभिचार, कुआचरण की समस्याओं को हल नहीं किया जा सकता है।[16]

डॉ. अम्बेडकर इस दृष्टि से स्त्रियों को समानता स्वतंत्रता और आर्थिक अधिकार दिलाना चाहते थे। अम्बेडकर ने लोकतांत्रिक तरीके से ही महिलाओं को ये व्यापक अधिकार दिलाने का प्रयास किया।उन्होने महिलाओं के लिए शिक्षा, मानसिक विकास, परिवार नियोजन, मातृत्व लाभ, समानता का अधिकार, सम्पत्ति का अधिकार आदि बातों की भी सिफारिश की है। अम्बेडकर के इस विचार से तत्कालीन संविधान, कानून और सामाजिक चेतना प्रभावित हुई और महिलाओं के आर्थिक संरक्षण और सम्पत्ति के संरक्षण से संबंधित अनेक कानून बनाए गए है।[17]

समाज में नारी पुरूष के समान स्वतंत्र एवं अधिकार सम्पन्न हो इसके लिए अम्बेडकर ने अविस्मरणीय कार्य किया। उनके नेतृत्व में बने संविधान में लिंग के आधार पर पुरूष और स्त्री के बीच सामाजिक भेदों को समाप्त किया गया संविधान ने स्त्री और पुरूष में कोई भेद न करते हुए दोनों को समान दर्जा प्रदान किया (अनुच्छेद–14–16) संविधान के माध्यम से बच्चों व स्त्रियों की बिक्री तथा उनसे बेगार लेने पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 39, 42, 46, 47, 52(A) (C), 243(D), 243(T), आदि के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है।[18] संविधान द्वारा नारी को स्वतंत्रता और समानता का अधिकार प्रदान किये जाने से सिद्धांतः नारी की सामाजिक स्थिति में सुधार तो अवश्य आया किन्तु स्वतंत्रता एवं समानता की संवैधानिक प्रत्याभूति मात्र से सदियों उपक्षेत नारी को परम्परात्मक दासता से मुक्ति मिल जाएगी अम्बेडकर को इस पर संदेह था। उनका सोचना था कि विवाह और सम्पत्ति पर अधिकार संबंधी प्रचलित कानूनों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाये बिना नारी की मुक्ति संभव नहीं है। अपने इस विश्वास को मूर्तरूप देने की दृष्टि से उन्होंने एक व्यापक सामाजिक विधान की रूपरेखा निर्मित की, जिसे हिन्दू कोड बिल के नाम से जाना जाता है। हिन्दू कोड बिल में कन्या के विवाह की निर्धारित तत्कालीन न्यूनतम आयु में वृद्धि, एक विवाह का अनिवार्य किया जाना, अंर्तजातीय विवाह को मान्यता, स्त्रियों को पुरूषों के समान तलाक का अधिकार, तलाकशुदा

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

स्त्री को अपने पति से भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता, स्त्री को पुत्री, पत्नी और माँ के रूप में पारिवारिक सम्पत्ति पर अधिकार, स्त्री को गोद लिये जाने एवं गोद लेने के अधिकार आदि का प्रावधान था। बिन तत्कालीन रूढ़ीवादी मानसिकता के कारण विधायिका में पारित न हो पाया, परंतु इसे अन्य रूपों में कालान्तर में पारित किया गया।[19]

वर्तमान परिपेक्ष में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डालते है तो स्पष्ट होता है कि अधिकांश लोग साक्षर है लेकिन शिक्षित नहीं। शिक्षा ने सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सामाजिक सुधारों की प्रक्रिया में ठहराव और आज की महिलाओं पर प्राचीन महिलाओं का कथकथित दैवीय दर्जा थोपना उनके विकास और उत्थान को प्रभावित कर रहा है। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के युग में सुधारों और महिलाओं की मुक्ति से चकित और परेशान भारतीय मानसिकता ने महिलाओं का पुरूषों के बराबर की समानता को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए महिलाओं प्रति आए दिन महिला उत्पीड़न, हिंसा जैसी घटनाएँ न केवल कार्यस्थल पर बल्कि घरेलू स्तर पर भी दर्ज की जा रही। जो सामाजिक समानता की विफलता को प्रदर्शित करता है। अर्थात महिला सशक्तिकरण का लक्ष्य आज भी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः महिलाओं के अधिकारों और विकास के बारे में अम्बेडकर जी के प्रगतिशील व न्यायतुल्य विचारों अभी भी वर्तमान परिदृष्य में न केवल भारत बल्कि वैश्विक संदर्भ में भी अनुकर्णिय व प्रासंगिक है।[20]

डॉ. अम्बेडकर का तीन शब्द सूत्र "शिक्षित रहो, संगठित रहो, और उत्तेजित रहो" आज भी सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली उपकरण है। अम्बेडकर ने दबे–कुचलों वर्गों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जिन्हें सदियों से वंचित किया गया था। उनका मानना था कि निम्न वर्गों और महिलाओं को शिक्षित करना ही, उनमें चेतना, स्वाभिमान और गरिमा की भावना पैदा करने का एक निश्चित तरीका है। वह चाहते थे कि लोग आपस में स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को विकसित करें और यह शिक्षा से ही संभव है।[21]

2. संदर्भ ग्रंथ सूची :

1. Singhariya, Dr M R, Dr B R Ambedkar and women empowerment in india, Journal of research in humanities and social science, Vol.2,2014, pg.1
2. Kait, Kavita, Dr. Ambedkar role in women empowerment from legalserviceindia.com
3. Ibid.
4. Singhariya, Dr M R, pre-quoted, pg.2
5. Ibid
6. Ibid.
7. Ibid.
8. सिंह, राम गोपाल, डॉ. अम्बेडकर का जीवन और विचार र्दशन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 2017, पृ. 143

E-ISSN No: 2456-6713

International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

Impact Factor: 5.924

9. खिमसेरा, डॉ. ज्ञानचन्द्र, डॉ. अम्बेडकर का आर्थिक चिंतन, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 1995, पृ. 66
10. वही पृ. 68
11. वही पृ. 68
12. Singhariya, Dr M R, pre-quoted, pg.2
13. Ibid.
14. खिमसेरा, डॉ. ज्ञानचन्द्र, पूर्व उद्धरित पृ. 69
15. Ahir, D C, The legacy of Dr. Ambedkar, B R publication, New Delhi.
16. खिमसेरा, डॉ. ज्ञानचन्द्र, पूर्व उद्धरित पृ.67
17. वही पृ. 69
18. Ubale, Milind, Dr. Babasaheb Ambedkar's approach to women empowerment, International Education & Research Journal, Vol-2, 2016.
19. बाबा साहेब डॉ. अम्बेडकर सर्म्पूण वाड.मय, खण्ड–7, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 2019, पृ. 319
20. Yeasmin, Dr. Minara, Dr. Ambedkar's vision for women empowerment, International Journal of creative research thoughts, Vol.6, April 2018.
21. Ibid.